न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 66/2019

अनुवान मुस्ताक अली बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 1955

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 28.11.2019

मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान जाति कायमखानी निवासी कालूसर तहसील सरदारशहर।

–वादी–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू।

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट कालीचरण शर्मा वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 100 तादादी 4.6700 हैक्टेयर रोही कालूसर तहसील सरदारशहर में स्थित है। वादगत भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम व पिता का नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां दर्ज है जो अशुद्ध है। जबकि वादी का शुद्ध नाम मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान है।

वादगत कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात वादगत कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारियों की सहवन से रही लिपिकीय त्रुटि के कारण वादी का गांव में बोलता नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात लगातार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां अशुद्ध चला आ रहा है। जबकि वादी का शुद्ध नाम मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान है। वादगत कृषि भूमि में वादी एवं उसके पिता का

नाम अशुद्ध दर्ज है। वादगत भूमि का वादी खातेदार काबिज काश्तकार होने से सहबन से अशुद्ध दर्ज प्रविष्टी को शुद्ध करवाने की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख शुद्धि करवाने का अधिकारी है।

वादी के अन्य दस्तावेजों पेन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान अंकित है। वादी का नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां हस्तगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। वादी का वास्तविक नाम मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान है जबकि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां होने के कारण वादी को बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा अथवा अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध दर्ज नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां के स्थान पर सही नाम मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान को दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब वादी के.सी.सी. बनवाने के लिए पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने गया तथा अपना खाता केन्द्र से नकले हासिल की तो वादी को इस गलत राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी हुई।

राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने के बाद वादी तहसीलदार सरदारशहर से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का नाम संशोधित करने का निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार तहसीलदार सरदारशहर द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है।

वादगत कृषि भूमि के अन्य सहखातेदारों को वादी द्वारा पक्षकार वाद नहीं बनाया गया है क्योकि वादी के नाम संशोधन से अन्य पक्षकारों के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्हें पक्षकार संयोजित किये बिना ही दावा वादी द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया जा रहा है।

वादी ने निवेदन किया कि कृषि भूमि ख0 नं0 100 तादादी 4.6700 हैक्टेयर रोही कालूसर तहसील सरदारशहर वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद

अली खान दर्ज करवाने का वादी अधिकारी है तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड संशोधित किया जावे।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादी का नाम उस्ताद अली के स्थान पर मुस्ताक अली पुत्र मोहम्मद अली खां घोषित किया जाता है तो राज्य को कोई ऐतराज नहीं है एवं सरपंच ग्राम पंचायत जीवणदेसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार मुस्ताक अली खान व उस्ताद अली दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयेः–

1. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077।
2. प्रमाणित नक्शा खसरा नम्बर 100 ग्राम कालूसर।
3. आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. पासपोर्ट की छायााप्रति।
5. पैन कार्ड की छायाप्रति।
6. कार्यालय ग्राम पंचायत, जीवणदेसर का प्रमाण पत्र।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी व उसके पिता का नाम मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान अंकित है एवं कार्यालय ग्राम पंचायत, जीवणदेसर का प्रमाण पत्र जो कालूराम, सरपंच ग्राम पंचायत जीवणदसेर द्वारा जारी किया गया है में उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां व मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद अली खान एक ही व्यक्ति के दो नाम होना अंकित किया गया है एवं प्रकरण में नाम परिवर्तन आदेश से राज्य हित भी प्रभावित नहीं होगा।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि खेत ख0 नं0 100 तादादी 4.6700 हैक्टेयर रोही कालूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम उस्ताद अली उर्फ मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद खां दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को निम्नानुसार शुद्ध अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	कालूसर	ख0 नं0 100 तादादी 4.6700 हैक्टेयर रोही कालूसर तहसील सरदारशहर	उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां	उस्ताद अली उर्फ मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद खां

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
मुकदमा नम्बर 66/2019
अनुवान मुस्ताक अली खान बनाम राजस्थान सरकार
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि खेत ख0 नं0 100 तादादी 4.6700 हैक्टेयर रोही कालूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम उस्ताद अली पुत्र मोहम्मद खां अशुद्ध है जिसे शुद्ध कर सही नाम उस्ताद अली उर्फ मुस्ताक अली खान पुत्र मोहम्मद खां दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....बीज......................................मुबलि ....

...................................बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 11 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	07	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2019.12.05 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: